



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 11.09.2026

थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला-फुसला कर ले जाने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 08.09.2026 को वादी द्वारा थाना राजपुर पर तहरीर दी गई कि संजय कुमार व रवि पुत्रगण वीरेन्द्र कुमार निवासीगण ग्राम सतराजू, थाना चुरखी, जनपद जालौन द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गये व उनके घर जाकर उलाहना देने जाने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 100/2026 धारा 137(2)/87/352/351(3) बीएनएस बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 11.09.2026 को वांछित अभियुक्त संजय कुमार पुत्र वीरेन्द्र कुमार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम सतराजू, थाना चुरखी, जनपद जालौन को मुखबिर की सूचना पर जूनियर हाईस्कूल पिटाकपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण:-

1. संजय कुमार पुत्र वीरेन्द्र कुमार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम सतराजू, थाना चुरखी, जनपद जालौन

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 100/2026 धारा 137(2)/87/352/351(3) बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना राजपुर पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 नीरज कुमार
2. हे0का0 579 विवेक तोमर
3. रि0का0 648 शिवा